सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 54/19 **निर्णय दिनांकः–05–09–2019**

1. किशनलाल पुत्र चैनाराम जाति प्रजापत निवासी लालगढ़ रामपुरा बस्ती तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 26–12–2001
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री सुश्री रोशन आरा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 26–12–2001 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के पति को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 12 पीएसडी के मुरब्बा नम्बर 23/29 के किला नम्बर 1 में 17 बिस्वा, किला नम्बर 2 में 1 बीघा, किला नम्बर 21 में 17 बिस्वा, किला

नम्बर 24 व 25 में 2 बीघा कुल 4 बीधा 4 बिस्वा कमाण्ड व किला नम्बर 3 ता 9 में7 बीघा, किला नम्बर 10 में 17 बिस्वा, किला नम्बर 11 में 17 बिस्वा, किला नम्बर 12 ता 19 में 8 बीघा, किला नम्बर 20 में 17 बिस्वा, किला नम्बर 22 व 23 में 2 बीघा कुल 19 बीघा 11 बिस्वा भूमि अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 24 बीधा 05 बिस्वा भूमि का आवंटन वर्ष 1992 में किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। जिस पर दिनांक 26—12—2001 को विनिमय का पात्र मानते हुए चक 5 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 3/3 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीधा भूमि का आवंटन किया गया तथा उक्त आवंटन की पालना में आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गय, परन्तु अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति रविप्रकाश पुत्र राजेन्द्र कुमार को आवंटित है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26—12—2001 के विरूद्व अपील दिनांक 25—02—19 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटनशुदा भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 26—12—2001 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 25—02—2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलांट एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के दिन—प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 18—01—1985 को दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के सात वर्ष उपरान्त दिनांक 17—02—1992 को अपीलांट को सक्षम मानते हुए दिनांक 07—03—1992 को उपनिवेशन तहसील कोलायत चक 12 पीएसडी के मुरब्बा नम्बर 23/29 में 19 बीघा 11 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पश्चात् आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। उक्त कार्यवाही की सूचना अपीलांट को नहीं दी गई। उक्त कार्यवाही के करीब 09 वर्ष उपरान्त अचानक पत्रावील सुनवाई हेतु

लेकर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विनिमय में चक 5 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 3/3 की 24 बीधा 05 बिस्वा भूमि आवंटित कर दी गई। इसकी सूचना भी आवेदक को नहीं दी तथा कालान्तर में यह भी किसी अन्य को आवंटित कर दी गई। वर्तमान में उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार रविप्रकाश पुत्र राजेन्द्र कुमार है।

इसप्रकार अपीलांट/आवेदक को 15 साल तक इंतजार में रखा गया तथा उसके आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की उसे सूचना नहीं दी गई। तत्पश्चात् आगामी 18 साल तक उसके आवंटन का अमल दरामद या खारिज करने की कार्यवाही नहीं की गई। आवेदक के साथ आवंटन अधिकारियों का क्रूर मजाक है। जिस आवंटन आदेश की आगामी 18 साल तक क्रियान्विती नहीं हुई तथा राजस्व/उपनिवेशन विभाग के अधिकारी अपना रिकार्ड अपडेट नहीं कर पाये। ऐसे आवंटन का अब कोई अस्तित्व नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 26—12—2001 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत/बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की पूर्व आवंटन की क्रियान्विती की जॉच की जाकर पूर्व आवंटन प्रभावी नहीं पाये जाने पर अपीलांट की सक्षमता के अनुसार नये सिरे से आवंटन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05—09—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर